

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग II—कण्ड ४—३प-कण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार सं प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं • 101] नई विस्ती, मंगलवार, मार्च 19, 1991/फाल्गुन 28, 1912 No. 101| NEW.DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 1991/PHALGUNA 28, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हां जिससे कि यह अक्षण संक्रलन के कप में रखा जा शके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be aled as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

ग्रधिमूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1991

सा. का. नि. 152(म्र).—महापत्तन न्यास भ्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा (11) के साथ पठित धारा 3की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शरकार एतद्द्वारा श्री मनोहर जी. कोतवाल और

श्री एम. के. श्रश्वनी को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में "श्रमिक हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. न्यासी के रूप में श्री मनोहर जी. कोतवाल और श्री एम. के. श्रावनी का कार्य-काल महापत्तन न्यास ग्रीधनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के श्रनुसार विनियमित किया जाएगा ।

> [फाइस सं. पाटी-18011-4/89-पं. टी] प्रशोक जोशी, संयुक्त मचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Posts Wing)

NOTIFICATION

New Delhi the 19th March, 1991

G.S.R. 152(E).—In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (l) of Section 3 of the Major Port Trusts, 1963 (38 of 1963) read with section 11 of the said Act, the Central Government hereby appoints Shri Manohar G. Kotwal and Shri M. K. Aswani representing Labour Interests' on the Board of Trustees for the Port of Kandlu.

2. The term of office of Shri Manohar G. Kotwal and Shri M K. Aswani as a Trustee will be regulated as per provisions of Section 7 (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[F. No. PT-18011-4|89-PT] ASHOK JOSHI, Jt. Secv.